

जिला बन्दोबस्त कार्यालय मधेपुरा

पत्रांक - 27 दिनांक - 24.8.15

प्रेषक,

सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी
मुख्यालय, मधेपुरा।

सेवा में

जिला प्रभारी पदाधिकारी
सन० आई० सी०, मधेपुरा

विषय - बिहार भू-सर्वेक्षण अधिनियम 2011 के अन्तर्गत
प्रपत्र-1 उद्घोषणा को जिला वेबसाइट पर प्रकाशित
करने के सम्बन्ध में।

महाराज

निदेशानुसार कहना है कि बिहार भू-सर्वेक्षण 2011
के अन्तर्गत जिला मधेपुरा के सभी भू-धारियों/लोक
स्व सारकारी जमीन के अभिलेखों सहित भूमि में हित
रखने वाले सभी व्यक्तियों को सूचित करने हेतु प्रपत्र
-1 में उद्घोषणा का प्रकाश समाहता सह बन्दोबस्त
पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा घस्ताहारित है को (होयाप्रति)
संलग्न कर जिला वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु
भेजा जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि उक्त उद्घोषणा
का प्रपत्र-1 को जिला वेबसाइट पर डालकर प्रकाशित
करने की कृपा की जाय।

विश्वास भाजन

दिनांक 24/8/15

सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी
मुख्यालय मधेपुरा।

आजील
22-8-15

प्रपत्र-1

(द्वितीय नियम-4 का उप नियम-1)

उद्घोषणा का प्रपत्र

राजस्व/ग्राम:-


ग्रामा नं०-

अंचल:-

जिला मधेपुरा के सभी भू-धारियों/लोक एवं सरकारी जमीन के अभिरक्षक सहित ग्रामि में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि अयोहरस्ताक्षरी द्वारा प्रतिनियुक्त अथवा प्राधिकृत कोई व्यक्ति ग्राम की सीमा एवं इसके भू-खंडों के सीमांकन या पहचान के लिए भू-खण्ड में प्रवेश कर सकते हैं। आपको निर्देशित किया जाता है कि सर्वक्षण के उद्देश्य से भू-खण्डों की पैमाईश/जाँच-पड़ताल करने तथा वृक्षों, जंगलों, खड़ी फसलों या ऐसी अन्य बाधाओं, जैसा भी आवश्यक हो, को हटाने अथवा काटने में उन्हें सहयोग करें एवं उन्हें उनके कर्तव्यों के निर्वाहन में किसी प्रकार का बाधा/अड़चन उत्पन्न न करें। आपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि अपने भू-खण्डों की सीमाओं को भू-खण्डों के सभी मोड़ पर भिट्टी का स्तंभ देकर उसे सीमांकित कर लें।

तिथि:-

समाहर्ता-सह-बन्धुके प्रति पदाधिकारी


समाहर्ता
प्रमुख